मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१७

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३४ में, उपधारा (२) में, शब्द "रजिस्ट्रीकृत" का लोप किया जाए.

धारा ४६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

(क) उपधारा (८) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "बारह कैलेण्डर मास" के स्थान पर, शब्द "चौबीस कैलेण्डर मास" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "अपील बोर्ड, प्रत्येक अपील का निपटारा, अपील फाइल करने की तारीख से दो कैलेण्डर वर्ष के भीतर करेगा", के स्थान पर, शब्द "अपील बोर्ड, अपील फाइल करने की तारीख से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर उसका लिखित में आदेश सुनाने का प्रयास करेगा" स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (८ ख) का लोप किया जाए;

(ग) उपधारा (९) में, शब्द "बारह कैलेण्डर मास" के स्थान पर, शब्द चौबीस कैलेण्डर मास" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अरजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के संबंध में अपास्त किए गए एकपक्षीय आदेश के निपटारे हेतु समय-सीमा का उपबंध करने के लिये तथा अपील बोर्ड के साथ-साथ अपीली प्राधिकारी के समक्ष लंबित अपीलों के निपटारे को सुकर बनाने हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाना हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २३ मार्च, २०१७

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) से उद्धरण.

* * * *

धारा ३४ (२) : जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश अपास्त कर दिया जाता है और इस धारा के अधीन नवीन कर निर्धारण करने के लिए मामला पुन: खोला जाता है, वहां ऐसा नवीन कर निर्धारण एकपक्षीय आदेश के अपास्त किए जाने की तारीख से छह कैलेण्डर मास की कालावधि के भीतर या धारा २० की उपधारा (७) के खण्ड (एक) में अधिकथित कालावधि के भीतर, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती है, किया जाएगा.

* * * *

धारा ४६ (८) : ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाए और ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे,—

(क) अपीलीय प्राधिकारी, प्रत्येक अपील का निपटारा ऐसी अपील फाइल करने की तारीख से बारह बारह कैलेण्डर मास के भीतर करेगा, तथा ऐसी अपील का निपटारा करने में, अपीलीय प्राधिकारी,—

(एक) कर या ब्याज के निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे बातिल कर सकेगा, किन्तु मामले का प्रतिप्रेषण (रिमांड) नहीं करेगा, यदि वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एकपक्षीय आदेश नहीं है; या

(दो) एक सी अपील की दशा में, जो उपखण्ड (एक) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे;

(ख) अपील बोर्ड, प्रत्येक अपील का निपटारा, अपील फाइल करने की तारीख से दो कैलेण्डर वर्ष के भीतर करेगा, तथा अपील का निपटारा करने में, अपील बोर्ड,—

(एक) कर या ब्याज के निर्धारण या पुन: निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे बातिल कर सकेगा; या

(दो) कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों को अपास्त कर सकेगा और उस अधिकारी को, जिसके कि कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण के आदेश के विरुद्ध अपील की गई है यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह निदेशित करे नए सिरे से कर निर्धारण करे या शास्ति फिर से अधिरोपित करे; या

(तीन) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

* * * *

धारा (८-ख) : मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१० के प्रारंभ होने की तारीख को अपील बोर्ड के समक्ष लंबित अपीलों का निपटारा, अपील बोर्ड द्वारा उपधारा (८) में विनिर्दिष्ट कालावधि या ऐसे प्रारंभ से एक कैलेण्डर वर्ष की कालावधि जो भी बाद में हो, के भीतर किया जाएगा.

(९) उपधारा (८) के खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अपील का निपटारा, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकता हो, वहां राज्य सरकार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा, ऐसी अपीलों के निपटारे के लिए कालावधि को ऐसी और कालावधि तक बढ़ा सकेगी, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.